नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2015
भाग—एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376/81—फिन(एल0ए0)खण्ड—IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान नगर परिषद मण्डी में प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहेः—

प्रधान

क्रमांक	**अवधि**	**नाम**
1	1.4.2013 से 31.3.2015	श्रीमती सुशिला सौखला

कार्यकारी अधिकारी

1	1.4.2013 से 2.11.2014	श्री अजय पराशर (तहसीलदार)
2	3.11.2014 से 31.3.2015	श्री विवेक भाटिया (उपमण्डल अधिकारी नागरिक)

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद मण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :—

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान की राशि का दिनांक 31.3.2015 तक उपयोग न करना	6(ख)	1000.99
2	सीवरेज व्यवस्था हेतु UIDSSMT स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की राशि को परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने बारे	6(ग)	3698.23
3	अनुदान के निवेश से अर्जित ब्याज की राशि का वेतन व भत्तों पर अनुचित व्यय करना	6(घ)	223.04
4	गृहकर की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	197.98

5	दुकानों के किराये की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	8	17.88
6	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10	10.60
7	पारिवारिक पैंशनरों को अधिक भुगतान करना	12	5.48
8	संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय करना	15	288.35

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट– "I"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद मण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री चन्द्रेश हाण्डा, (सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 1.1.2016 से 13.4.2016 के दौरान नगर परिषद, मण्डी के कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/2014 व 2/2015 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/2014 व 8/2014 के लेखाओं का चयन किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने की स्थिति में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद मण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹64,000 बनता है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद मण्डी को सहायक नियन्त्रक, लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्याः 759, दिनांक 13.4.2016 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया। यह राशि परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्याः 053176, दिनांक 14.6.2016 द्वारा प्रेषित कर दी है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद मण्डी द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	ब्याज	अनुदान	अपने स्त्रोतों से आय	कुल जमा	व्यय	अन्तशेष
2013–14	1,50,88,545.22	4,72,972	2,71,09,725	2,24,32,227.50	6,51,03,469.72	6,03,49,699	47,53,770.72
2014–15	47,53,770.72	2,28,86,731	41,74,62,790	2,46,96,598.50	46,97,99,890.22	36,31,48,774	10,66,51,116.22

नोटः माह 1/2015 में ₹29 करोड़ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हस्तांतरित की गई

(ख) बैंक समाधान विवरणी

दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष की राशि	1,06,65,116.22
दिनांक 31.3.2015 को बैंकों में जमा राशि व एफ0डी0आर अन्तशेष की राशि	10,77,27,645.22
अन्तरः–	10,76,529.00
अन्तर का समाधानः–	
दिनांक 31.3.2015 तक रोकड़ बही में भुगतान हेतु जारी किए गए चैक परन्तु बैंक से घटााऐ नहीं गए	12,67,940
दिनांक 31.3.2015 तक रोकड़ बही में आय व व्यय के चैक जमा किए परन्तु 31.3.15 के बाद बैंक पास बुक में जमा किए गए	(–) 1,91,411
योग	**10,76,529**

5 निवेश

नगर परिषद मण्डी के खाते में दिनांक 31.3.2015 को ₹9 करोड़ सावधि जमा योजना में निवेशित थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ख–1''** तथा **''ख–2''** में दिया गया है।

6 अनुदान

(क) नगर परिषद मण्डी द्वारा के अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान विभिन्न संस्थाओं से परिषद को प्राप्त अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है। अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ग–1''** में भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	कुल जमा राशि	व्यय	अन्तशेष राशि
2013—14	1,09,60,802	2,71,09,725	3,80,70,527	2,29,82,224	1,50,88,303
2014—15	1,50,88,303	41,74,62,790	43,25,51,093	33,24,52,131	10,00,98,962

(ख) अनुदानों की ₹1000.99 लाख का उपयोग न करना

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों की राशि में से ₹10,00,98,962 दिनांक 31.3.2015 को अनुपयुक्त पड़ी थी जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट—''ग—2''** में दर्शाया गया है। उक्त परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु गत वर्षों से प्राप्त की गई अनुदान की राशियों का उपयोग नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक नहीं किया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योतर एवं समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनुदान पत्रों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्त शेष राशि को शीघ्र ही सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को वापिस भेजा जाए

(ग) सीवरेज व्यवस्था हेतु UIDSSMT स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान की ₹3698.23 लाख को अनाधिकृत रूप से नगर परिषद द्वारा अपने पास रखने बारे

नगर परिषद मण्डी को निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश से पत्र संख्याः ULB-H(1)(10)/90-311-323, दिनांक 3.4.2014 द्वारा UIDSSMT स्कीम के अन्तर्गत ₹36,98,23,000 शहर की सीवरेज व्यवस्था हेतु प्राप्त हुई थी। यह अनुदान की राशि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग मण्डी द्वारा व्यय की जानी थी। परिषद द्वारा माह 1/2015 में इस राशि में से ₹29 करोड़ सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई गई तथा शेष ₹7.98 करोड़ सम्बन्धित विभाग को विकास कार्य हेतु जमा की जानी बकाया थी। इस प्रकार अनुदान की राशि जो अन्य विभाग से सम्बन्धित थी, को अनाधिकृत रूप से परिषद द्वारा अपने पास रखने के कारण शहर के विकास कार्य में विलम्ब हुआ है व सम्बन्धित विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने व कार्य समाप्त करने में विलम्ब किया है, जो कि अनुचित है। अतः परिषद इस प्रकरण में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) अनुदान के निवेश से अर्जित ब्याज की ₹223.04लाख का वेतन व भत्तों पर अनुचित व्यय करना

उपरोक्त ''ग'' में दर्शित अनुदान से सावधिक योजना व बैंक बचत खाते के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 तक ₹2,23,03,794 ब्याज के रूप में नगर परिषद द्वारा अर्जित किए गए। (**परिशिष्ट—''ग—3''**)। नियमानुसार अनुदान से प्राप्त ब्याज को उसी उद्देश्य पर व्यय किया जाना अपेक्षित था जिस उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था, लेकिन नगर परिषद द्वारा अनुदान से अर्जित

ब्याज की ₹223.04 लाख का वेतन व भत्तों पर अनुचित व्यय किया। अतः अनुदान की राशि से प्राप्त ब्याज से किए गए अनुचित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

7 गृहकर की बकाया ₹1.98 करोड़ का वसूली हेतु शेष पाया जाना

दिनांक 31.3.2015 तक गृहकरदाताओं से ₹1,97,98,479 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विवरण **परिशिष्ट–''घ''** में दिया गया है। नगर परिषद मण्डी द्वारा गृहकर की बकाया ₹1,97,98,479 की वसूली करने के लिए कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जोकि चिन्ता का विषय है। अतः गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि परिषद के विकास कार्य सुचारू रूप से निष्पादित किए जा सकें।

8 दुकानों के किराये की बकाया ₹17.88 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

किराया मांग व संग्रह रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹17,88,377 की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ड़''** में दर्शाया गया है। परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

9 व्यवसायिक कर की बकाया ₹2.10 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

व्यवसायिक कर से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद मण्डी द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक व्यवसायिक कर की बकाया ₹2,10,230 की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''च''** में दर्शाया गया है। अतः व्यवसायिक कर की वसूली हेतु विशेष प्रयास किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की ₹10.60 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

मोबाईल टावरों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहाईशी एवं व्यपारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर

स्थापित किए गए हैं, जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट–''छ''** में दिया गया है। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः DIT-DEV(IT)2005(MISC), दिनांक 20.8.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की ₹10,60,000 को विभिन्न कम्पनियों से वसूल करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाई जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 सिनेमा व वीडीयो घरों से फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Show Tax) की बकाया ₹1.41 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

सिनेमा कर के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक ₹1,41,340 की बतौर प्रदर्शन कर की वसूली करनी शेष थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ज''** में दिया गया है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाऐं।

12 नगर परिषद मण्डी द्वारा पारिवारिक पैन्शनरों को ₹5.48 लाख का अधिक भुगतान करना

नगर परिषद के पैन्शन से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पड़ताल में निम्न पारिवारिक पैन्शनरों को ₹5,47,586 का अधिक भुगतान किया गया है :–

(क) श्रीमती अंबिका, पत्नी स्र्व श्री भूरू

श्री भूरू का अपने सेवाकाल के दौरान दिनांक 27.5.2004 को स्वर्गवास हो गया था तथा इनकी पत्नी की पारिवारिक पैन्शन का निर्धारण निम्न प्रकार से हुआ था। **(परिशिष्ट–''झ'')**

Pension	F.P-I	F.P-II
–	2425	1455

पैन्शन अदायगी आदेश (पी0पी0ओ0) के अनुसार पैंशनर की मृत्यु के सात वर्ष बाद से अर्थात दिनांक 28.5.2011 को ₹1,455 देय थी, जिसका संशोधन ₹3,500 होना था लेकिन उनकी पत्नी की 28.5.2011 के बाद भी पारिवारिक पैन्शन ₹2,425 जिसका संशोधन ₹5,482 बनता है, दी जा रही है, जिस कारण उनकी **परिशिष्ट–''ण''** के अनुसार ₹2,05,309 का अधिक भुगतान किया गया है।

(ख) श्रीमती वनारसु पत्नी स्व0 श्री विरहम सिंह

श्री विरहम सिंह दिनांक 30.11.2005 को सेवानिवृत हुए व **परिशिष्ट–''ट''** अनुसार उनकी पैंशन निम्न पैन्शन निर्धारित हुई।

Pension	F.P-I	F.P-II
2,970	2,970	1,860

उपरोक्त पैन्शनर का दिनांक 12.9.2013 को स्वर्गवास हो गया था तथा इनकी पत्नी को 13.9.2013 से पैंशन की ₹1860 देय थी, जिसका संशोधन ₹4204 देय था, लेकिन इन्हें दिनांक 13.9.2013 से ₹2970 की संशोधित पारिवारिक पैन्शन ₹6713 प्रतिमाह देने के कारण उनको **परिशिष्ट–''ठ''** की विवरणी के अनुसार ₹1,47,328 का अधिक भुगतान किया गया है।

(ग) श्रीमती शशीकिरण पत्नी स्व0 श्री नरेश

श्री नरेश का अपने सेवाकाल के दौरान दिनांक 4.7.2004 को स्वर्गवास हो गया था तथा **परिशिष्ट–''ठ''** के अनुसार उनकी पत्नी को पैन्शन का निर्धारण हुआ था।

Pension	F.P-I	F.P-II
–	2010	1310

नियमानुसार पैन्शनर की मृत्यु के 7 वर्ष बाद अर्थात दिनांक 5.7.2011 से पारिवारिक पैन्शन ₹1310 देय थी जिसका संशोधन ₹3500 प्रतिमाह देय था, लेकिन ₹2010 की पैंशन तथा संशोधित पारिवारिक पैन्शन ₹4543 देने के कारण **परिशिष्ट–''ड़''** की विवरणी अनुसार ₹1,06,053 का अधिक भुगतान किया गया है।

(घ) श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 श्री पदमनाथ

श्री पदमनाथ दिनांक 31.8.2007 को सेवानिवृत हुए व **परिशिष्ट–''ढ''** में दर्शित पी0पी0ओ0 के अनुसार उनकी पैन्शन का निम्न प्रकार से निर्धारण हुआ।

Pension	F.P-I	F.P-II
5400	5400	3500

उक्त पैन्शनर की दिनांक 28.12.2007 को मृत्यु हुई। पैन्शनर की सेवा निवृति की दिनांक 31.8.2007 के सात साल बाद अर्थात दिनांक 1.9.2014 से इनकी पत्नी को पारिवारिक पैन्शन ₹3500 प्रतिमाह देय थी जबकि इन्हें पारिवारिक पैंशन ₹5400 प्रतिमाह प्रदान करके **परिशिष्ट–''प''** में दर्शित विवरणी के अनुसार ₹64,296 का अधिक भुगतान किया गया है।

(ण) श्री सुरता, पति सर्व0 श्रीमती राजबाला

श्रीमती राजबाला दिनांक 29.2.2008 को सेवानिवृत हुई **परिशिष्ट–''प''** में दर्शित पी0पी0ओ0 द्वारा इनकी पैन्शन का निम्न प्रकार से निर्धारण हुआ है।

Pension	F.P-I	F.P-II
6150	6150	3690

उक्त पैन्शनर का दिनांक 26.1.2010 को स्वर्गवास हो गया था व इनके पति को पारिवारिक पैन्शन इनकी सेवानिवृति की दिनांक 29.2.2008 के सात वर्ष बाद अर्थात दिनांक 1.3.2015 से ₹3690 प्रतिमाह देय थी, लेकिन दिनांक 1.3.2015 के बाद भी इन्हें पारिवारिक पैन्शन का ₹6150 प्रतिमाह की दर से भुगतान करके **परिशिष्ट–''फ''** में दर्शित विवरणी के अनुसार ₹24,600 का अधिक भुगतान किया गया।

इस प्रकार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक उपरोक्त पारिवारिक पैन्शनरों को क्रमशः ₹2,05,309 + ₹1,47,328 + ₹1,06,053 + ₹64,296 + ₹24,600 = ₹5,47,586 का अधिक भुगतान किया गया।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना के उत्तर के अनुसार कार्यकारी अधिकारी द्वारा इन सभी पारिवारिक पैन्शनरों की पैन्शन कम कर दी है तथा यह भी सूचित किया गया है कि उक्त पैन्शनरों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली भी कर ली जाएगी। अतः ₹5.48 लाख की वसूली से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

13 कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों को गलत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके ₹2406 का अधिक भुगतान करना

वाऊचर संख्याः 79, माह 8/2014 द्वारा विभिन्न कर्मचारियों व दो कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करके बकाया ₹47,310 का भुगतान किया गया। HP Civil Service (Revised Pay) Rules 20.9 से सम्बन्धित अधिसूचना Fin-P.R(B)(7)1/2009, दिनांक 26.8.2009 के अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि ₹10 के गुणांक में निर्धारित की जानी अपेक्षित थी, परन्तु इसी अधिसूचना से सम्बन्धित कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों के स्पष्टीकरण में वार्षिक वेतन वृद्धि ₹10 के गुणांक में निर्धारित की जानी अपेक्षित नहीं थी। उक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरूव कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार ₹2406 का अधिक भुगतान किया गया।

(क) श्री मदन, लिपिक (वेतन ₹5910 + 1900 = ₹7810)

Period	Drawn	Due	Difference	Months	Over Payment
1.12.2009 to 30-11-2010	8050	8044	6	12	72
1.12.2010 to 30.11.2011	8300	8285	15	12	180
1.12.2011 to 30.11.2012	8550	8534	16	12	192
1.12.2012 to 30.11.2013	8810	8790	20	12	240
1.12.2013 to30.06.2014	9080	9054	26	7	182
1.07.2014 to 30.11.2014	9080	9054	26	5	130
1.12.2014 to 30.6.2015	9360	9325	35	7	245
			कुल अधिक भुगतान		**1241**

कर्मचारी को 1.7.2015 से नियमित करके ₹5910 + 1900 = ₹7810 के वेतन पर निर्धारित किया गया।

(ख) श्रीमती मीरा, सफाई कर्मचारी (₹5090 + 1300 = ₹6390)

Period	Drawn	Due	Difference	Months	Over Payment
1.12.2009 to 30-11-2010	6590	6582	8	12	96
1.12.2010 to 30.11.2011	6790	6779	11	12	132
1.12.2011 to 30.11.2012	7000	6982	18	12	216
1.12.2012 to 30.11.2013	7210	7191	19	12	228
1.12.2013 to30.11.2014	7430	7407	23	12	276
1.12.2014 to 30.6.2015	7660	7629	31	7	217
			कुल अधिक भुगतान		**1165**

कर्मचारी का नियमितिकरण 1.7.2015 से न्यूनतम वेतनमान में किया गया।

अतः श्री मदन से ₹1241 व श्रीमती मीरा से ₹1165 अर्थात कुल ₹2406 की वसूली सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में शीघ्र वसूली की बात कही है। अतः अपेक्षित वसूली से आगामी अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

14 सेवा निवृति के 8 वर्ष बाद भी सरकारी आवास को खाली न करना

श्रीमती विष्णु देवी, सफाई कर्मचारी माह 11/2007 को सेवानिवृत हुई परन्तु उनके द्वारा सेवानिवृति के पश्चात आज तक सरकारी आवास को खाली न करके अवैध कब्जा कर रखा है व उनसे किराये की भी नियमानुसार कोई वसूली नहीं की जा रही है। यह गम्भीर अनियमितता है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः जी0ए0डी0–जी 7(जी)1/12/08–1, दिनांक 11.3.2010 द्वारा जारी अधिसूचना के नियम संख्या 18(अ) के अनुसार सरकारी आवास आबंटन नियमों के अन्तर्गत सेवा निवृत कर्मचारी से किराये की वसूली अपने स्तर पर गणना करने के उपरान्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी अपेक्षित थी। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने अपने उत्तर में कार्रवाई की बात कही है, जिससे आगामी लेखा परीक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹288.35 लाख का अधिक व्यय करना

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 53(1) में दिए गए दिशा निर्देशों तथा निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्याः यू0एल0बी0–एच(ए)1/87/9237–84, दिनांक 20.6.2001 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग

व्यय करने हेतु सीमित (restrict) किया गया था, परन्तु नगर परिषद मण्डी द्वारा निम्नानुसार निर्धारित सीमा से ₹2,88,35,541 का अधिक व्यय किया गया।

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित 1/3rd स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय (परिशिष्ट–''व'')	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि
2013–14	6,03,49,699	2,01,16,566	3,64,80,589	1,63,64,023
2014–15	7,31,48,774	2,43,82,925	3,68,54,443	1,24,71,518
		निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि		**2,88,35,541**

अतः अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 निर्माण कार्य को 3 छोटे–छोटे भागों में विभाजित करने बारे तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित अन्य अनियमितताओं बारे

(क) नगर परिषद द्वारा एक बड़े कार्य "C/o Road at Dumping Sitek" के 3 प्राकलंन तैयार करके तीनों कार्य एक ही संविदाकार श्री रवि कुमार को आबंटित किए गए।

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राकलन	कार्य किया गया	माप पुस्तिका
1.	C/o Road at Dumping site RD. 0 to 84.50	8,22,000	4,89,563	99/25
2.	C/o Road at Dumping site RD. 84.50 to 204.50	8,96,306	10,48,306	96/26
3.	C/o Road at Dumping Station (Pavement of Road)	6,02,476	3,50,693	100/52
	कुल व्यय		**18,88,562**	

प्रधान सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल उप नियम 2006 की धारा 32 में स्पष्ट नियम है कि "These will be no splitting up of estimate for any one work" I अतः नियमों की अनदेखी कर कार्यों को टुकड़ों में आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त दर्शित प्रथम कार्य माप पुस्तिका 99, पृष्ठ–25 द्वारा मद "CC 1:4:8 with 15% Plum" 185.40 cum निष्पादित हुई इस कार्य हेतु ज्यादा से ज्यादा सीमेन्ट निम्न प्रकार से उपयोग अपेक्षित था क्योकि पी0डब्लयू0डी0 मानकों के अन्तर्गत तथा एग्रीमैण्ट के Clause 42-ii में विनिर्दिष्टत दिशा निर्देशों के अनुरूप ₹5.00 लाख के उपर टैण्डर में सीमेन्ट की खपत थयोरेटिकल (theoretical) खपत पर 3 प्रतिशत प्लस व माईनस वेरीयेशन (Variation) तक मान्य

है तथा इसके अतिरिक्त सीमेन्ट की खपत करने पर अधिक सीमेन्ट की खपत की वसूली पैनल दरों (Penal rate) पर की जानी अपेक्षित है।

185.40 cum x 3 Bag (factor)	556.20 Bag
+ 3% Variation	16.68
Total	572.88
Or	573 Bag
सीमेन्ट जारी व वसूली	600 Bag
अधिक उपभोग	27 Bag

परन्तु नगर परिषद द्वारा संविदाकार को अधिक जारी व उपभोग 27 बैग सीमेन्ट की वसूली जारी दर ₹196 प्रति बैग की दर से की गई, जबकि यह वसूली ₹392 (पैनल दर) से की जानी अपेक्षित थी। अतः 27 सीमेन्ट बैग की अन्तर की राशि 27 x 196 = ₹5292 की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग)इसी प्रकार द्वितीय कार्य में माप पुस्तिका 96, पृष्ठ–26 द्वारा निम्न मद का निष्पादन किया गया।

C:C 1:4:8 with 15% Plum	369.63 cum x 3 Bag (Factor)	1108.89
	+ 3% Variation	33.26
	Total	1142.15
	Or	1142 Bag
	सीमेन्ट उपभोग व वसूली	1200 Bag
	अधिक उपभोग	58 Bag

अतः अधिक उपभोग 58 बैग की वसूली पैनल दर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वसूली दर के अन्तर की 58 X 196 = ₹11368 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने अंकेक्षण अधियाचना के उतर में वसूली शीघ्र कर ली जायेगी, बारे लिखा है। अतः उक्त राशि की वसूली से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत किया जाए।

17 स्टील का गलत फैक्टर लगाकर सविंदाकार को ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान करना

निर्माण कार्य “Providing steel grating back side of court” के प्रथम व अन्तिम बिल में ₹1,13,149 का भुगतान संविदाकार श्री बक्शी राम को माप पुस्तिका 100 पृष्ठ 70 (कार्य समापन दिनांक 19.1.2014) द्वारा किया गया। कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्टि की (माप पुस्तिका 99, पृष्ठ 89) में

मद “Steel work welded built up” में स्टील एंगल 40x40x5 का फैक्टर 3 किलोग्राम प्रति Rmt के स्थान पर 5 किलोग्राम प्रति Rmt लगाकर निम्न प्रकार से पैमाईश की गई ।

Steel 40x40x5		
40x40x5 = 3.60 x 5 Factor	18	
35x35x4 =7.80 x 2.10 Factor	16.38	
	34.38 x 30 = 1031.40 kg	
पैमाईश जो वास्तव में होनी थी		
40x40x5 = 3.60 x 3 Factor	10.80	
35x35x4 =7.80 x 2.10 Factor	16.38	
	27.18 x 30 =	815.40
	Total Quntity =	216 kg
	Rate @ ₹80 per kg = 17,280	

अतः अधिक किए गए भुगतान की ₹17,280 को संविदाकार से अविलम्ब वसूल किया जाए।

18 विभागीय निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताऐं

माप पुस्तिका 100, पृष्ठ 98 द्वारा निम्न सामग्री वार्ड नम्बर 10 में विभागीय कार्य हेतु दिनांक 10.7.2014 से 19.7.2014 को एम0ए0एस0 रजिस्टर पृष्ठ 82 से जारी कर उपभोग दर्शाई गई।

1.	250 mm R.C.C. Pipe	88 Nos
2.	150 mm R.C.C. Pipe	70 Nos
3.	450 mm R.C.C. Pipe	44 Nos

उक्त विभागीय कार्य हेतु सीमेन्ट, रेत, बजरी इत्यादि कब व कहां से जारी की गई तथा इनका उपयोग कहां–कहां किया गया इस बारे में अभिलेख में कोई इन्द्राज नहीं है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यों हेतु प्राक्कलन तैयार करना, कार्य हेतु परिषद के प्रस्ताव से सहमति, सहायक अभियन्ता से सत्यापन्न कुल व्यय व सामग्री उपभोग विवरणी इत्यादि औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उतर दिया गया कि ऐसे प्रकरणों में भविष्य में पालना कर ली जायेगी बारे जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः अभिलेख सम्पूर्ण तैयार करके आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाएं व भविष्य में विभागीय कार्य औपचारिकताऐं पूर्ण कर निष्पादित करवाया जाए।

19 नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 का बजट तैयार किए बिना ही ₹1334.98 लाख का अनियमित व्यय करना

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 का बजट तैयार ही नहीं किया तथा बजट की स्वीकृति बिना ही क्रमशः ₹6,03,49,699 व ₹7,31,48,774 अर्थात कुल ₹13,34,98,473 का व्यय किया गया, जोकि अनियमित था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने उतर में कर्मचारियों की कमी के कारण बजट तैयार न करना व स्वीकृत न हुआ बताया, जोकि सन्तोषजनक नहीं है। अतः अनियमित रूप से किए गए ₹1334.98 लाख के व्यय को हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 249 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके नियमित किया जाए व भविष्य में स्वीकृत बजट के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

20 नियमों की अनदेखी करके वर्ष 2014–15 में विजली की सामग्री तथा अन्य सामग्री की खरीद बारे

वर्ष 2013–14 में वर्षभर की बिजली की सामग्री की खरीद हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके निविदायें मांगी गई तथा इस प्रकरण मण्डी व धर्मशाला की कई फर्मों द्वारा निविदाऐं भरी गई तथा मैं0 जितेन ईलैक्ट्रिकल कं0 नेर चौक को प्रतिस्पर्धा दरों पर वर्ष भर की सामग्री हेतु आपूर्ति आदेश दिए गए। जिसमें प्राक्कलन की ₹8,90,500 थी, लेकिन वर्ष 2014–15 में तीन निविदायें एकत्र करके इसी फर्म को सामग्री की आपूर्ति हेतु आबंटन आदेश दिए जिसमें प्राक्कलन की ₹9,38,600 थी। उक्त आबंटन करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिक्ताऐं पूर्ण नहीं की गई थी जबकि उक्त नियमानुसार ₹1 लाख से अधिक की खरीद पर मुख्य समाचार पत्रों में निविदाओं हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी ने अपने उतर में लिखा है कि उक्त नियमों की पालना भविष्य में कर ली जाएगी। अतः वर्ष 2014–15 में कुल विद्युत सामग्री पर व्यय की गई ₹8,40,376 को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ₹1.00 लाख से अधिक की खरीद उक्त नियमों के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) इसी प्रकार वाउचर संख्याः 72, माह 7/2013 ₹1,23,595 द्वारा "Demolition hammer, Bit cutter" इत्यादि की खरीद उपरोक्त नियमों की अनदेखी कर औपचारिकतायें पूर्ण न करके की गई। अतः ₹1,23,595 के व्यय को भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

21 अस्थाई अग्रिम

लेखा परीक्षा में पाया गया है कि नगर परिषद द्वारा समय–समय पर अस्थाई अग्रिमों की राशि भुगतान किया गया है, लेकिन उनकी प्रविष्टि अस्थाई अग्रिम रजिस्टर में नहीं की गई है, जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि परिषद द्वारा कितनी राशि अग्रिम रूप में किन व्यक्तियों को दी गई है व समायोजन हेतु कितनी राशि शेष है। अतः अग्रिम की राशि के भुगतान व समायोजन से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

22 नगर परिषद मण्डी के स्टॉक में पड़े सामान के अभिलेख का उचित रख–रखाव न करने बारे

जांच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा क्रय किए सामान की विभिन्न मदों उपयोगी (Consumable) एवं अनुपयोगी (Non-Consumable) विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों में की गई, परन्तु सामान की प्रविष्टियां मदवार न करके तिथिवार की गई है जोकि अनियमित है। उक्त अनियमितता के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकी की निश्चित तिथि को स्टॉक रजिस्टर में प्रत्येक मद की कितनी मात्रा उपलब्ध है। नियमानुसार प्रत्येक मद के लिए अलग–अलग खाता खोला जाना तथा अलग–अलग पृष्ठ पर प्रविष्टि करके उन मदों का अन्तशेष निकाला जाना अपेक्षित है। अतः स्टॉक लेखा के उपयोगी (Consumable) एवं अनुपयोगी (Non consumable) का अलग–अलग अनुरक्षण न करने तथा खातों का मदवार अन्तशेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट दिया जाए तथा भविष्य में स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार किया जाए व भण्डार रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित की जाए।

23 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) नहीं की है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से यथा सम्भव इस विभाग को अवगत करवाऐं तथा भविष्य में नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाना सुनिश्चित की जाए।

24 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25 निष्कर्षः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः V(46)/2013-फिन(एल0ए0)खण्ड–I–5375–5376 दिनांकः 07.10.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी (175001) हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला हिमाचल प्रदेश

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट– “I”

(पैरा 1(ग) से सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/1993 तक

अवधि 3/1993 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्तमान अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए, जिन्हें उचित माध्यम से प्राप्त करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना हेतु अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1994

1.	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत
6.	पैरा 9	अनिर्णीत
7.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 11(ड़)	अनिर्णीत
10.	पैरा 11(च)	अनिर्णीत
11.	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
12.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
13.	पैरा 12(ग)(1)	अनिर्णीत
14.	पैरा 12(ग)(2)	अनिर्णीत
15.	पैरा 12(ड़)	अनिर्णीत
16.	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
17.	पैरा 12(छ)(1)	अनिर्णीत
18.	पैरा 12(छ)(2)	अनिर्णीत
19.	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत
20.	पैरा 12(झ)	अनिर्णीत
21.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
22.	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
23.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
24.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
25.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
26.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
27.	पैरा 16	आंशिक निर्णीत
28.	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
29.	पैरा 19(4)	अनिर्णीत
30.	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
31.	पैरा 19(6)	अनिर्णीत

32.	पैरा 19(7)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1996

1.	पैरा 5(क,ख,ग,ड़)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
9.	पैरा 10	आंशिक निर्णीत
10.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा 13	आंशिक निर्णीत
12.	पैरा 14(ख)(1)(2)(3)	आंशिक निर्णीत
13.	पैरा 14(ग)	आंशिक निर्णीत
14.	पैरा 15(1)(2)(5)(6)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(8)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(9)(10)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(1)से(5)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15(12)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
20.	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(17)(18)(19)	अनिर्णीत
22.	पैरा 16(4)(5)	अनिर्णीत
23.	पैरा 18(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24.	पैरा 19(1)(2)(3)	अनिर्णीत
25.	पैरा 19(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
26.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
27.	पैरा 21(क)(ख)	अनिर्णीत
28.	पैरा 22(1)(2)	अनिर्णीत
29.	पैरा 22(6)(7)	अनिर्णीत
30.	पैरा 23	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2001

1.	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा 16(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत

7.	पैरा 17(1 से 5)(8 से 11) (14,15,17,20,21,22,24,25,27)	अनिर्णीत
8.	पैरा 18	अनिर्णीत
9.	पैरा 20(1)(2)(5)(6)(7)(8)	अनिर्णीत
10.	पैरा 22	अनिर्णीत
11.	पैरा 25	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1.	पैरा 5(1)(क)(ख)(ग)(2)	अनिर्णीत
2.	पैरा (7)(8)(9)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
4.	पैरा 12(3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1.	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
2.	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत
3.	पैरा 4(सी)(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 4(सी)(3)	अनिर्णीत
5.	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
6.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
7.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत
8.	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
9.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
10.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
12.	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
13.	पैरा 6(5)	आंशिक निर्णीत
14.	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
15.	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
16.	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
17.	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
18.	पैरा 7(4)	अनिर्णीत
19.	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
20.	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
21.	पैरा 7(9)(1)	अनिर्णीत
22.	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
23.	पैरा 7(11)	अनिर्णीत
24.	पैरा 7(12)	अनिर्णीत
25.	पैरा 7(13)	अनिर्णीत
26.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
27.	पैरा 8(3)	अनिर्णीत

28.	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1.	पैरा 5(क)	आंशिक निर्णीत	(क्र0सं0 1, 2, 3, 5 व 11 निर्णीत)
2.	पैरा 7(2)(क) (क्र०सं० 1 से 48) व (ख)	आंशिक निर्णीत	(₹14,07,774 के संदिग्ध गवन में से ₹11,56,334 की वसूली की गई है)
3.	पैरा 8	अंशतः निर्णीत	
4.	पैरा 9	अनिर्णीत	
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	
6.	पैरा 12	अंशतः निर्णीत	
7.	पैरा 13	अंशतः निर्णीत	(क्र०सं० 1 व 2 में ₹6083 की वसूली शेष है)
8.	पैरा 14(1)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 14(2)(I, II & III)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 15	अनिर्णीत	
11.	पैरा 16	अनिर्णीत	
12.	पैरा 17(i)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 17(ii)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 17(iii)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 17(iv)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 17(v)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 17(vi)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 18(3)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 18(4)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 18(5)(1,2,3)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 19(क)(1)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत	
24.	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 19(घ)(i)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 19(ण)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 19(च)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 19(छ)	अनिर्णीत	
29.	पैरा 19(ज)(6 से 8)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 19(झ)(i)	अनिर्णीत	
31.	पैरा 19(झ)(ii)	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2013

1.	पैरा 3	निर्णीत	
2.	पैरा 4	अनिर्णीत	
3.	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन

			प्रारूपित)
4.	पैरा 6	निर्णीत	(₹539 दिनांक 21.6.2014 को जमा)
5.	पैरा 6(क)	निर्णीत	(₹285 दिनांक 6.8.14 को जमा किए)
6.	पैरा 6(ख)	निर्णीत	(₹120 दिनांक 21.6.2014 को जमा)
7.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 6(ड़)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 6(च)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित)
12.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित)
14.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित)
16.	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित)
17.	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित)
18.	पैरा 12	अनिर्णीत	
19.	पैरा 13(क)	निर्णीत	(माह 7/2014 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की)
20.	पैरा 13(ख)	निर्णीत	(माह 7/2014 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की गई)
21.	पैरा 14(क)	निर्णीत	(माह 7/2014 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की गई)
22.	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 14(ग)	निर्णीत	(माह 7/2014 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की गई)
24.	पैरा 14(घ)	निर्णीत	(माह 7/2014 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की गई)
25.	पैरा 15(1)	निर्णीत	(₹3826 व ₹773 की वसूली 23.9.14 को की गई)
26.	पैरा 15(2)	निर्णीत	
27.	पैरा 16	अनिर्णीत	
28.	पैरा 17	निर्णीत	(माह 10/2015 से वेतन बिलों से प्रतिमाह वसूली पूर्ण की गई)
29.	पैरा 18	अनिर्णीत	

30.	पैरा 19	निर्णीत	(₹15000 दिनांक 10.9.2013 व ₹18200 दिनांक 21.5.2014 को वसूल किए गए)
31.	पैरा 19(ii)	अनिर्णीत	
32.	पैरा 19(iii)	अनिर्णीत	
33.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत	
34.	पैरा 20(ख)	निर्णीत	(₹270 की वसूली 6.8.14 को की गई)
35.	पैरा 21(i)	अनिर्णीत	
36.	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत	
37.	पैरा 22(क)(i)से(iv)	अनिर्णीत	
38.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत	
39.	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत	
40.	पैरा 22(घ)	अनिर्णीत	
41.	पैरा 22(ड़)	अनिर्णीत	
42.	पैरा 23	अनिर्णीत	
43.	पैरा 24	अनिर्णीत	
44.	पैरा 25	अनिर्णीत	
45.	पैरा 25(क)	अनिर्णीत	
46.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
47.	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत	
48.	पैरा 26(ग)	अनिर्णीत	
49.	पैरा 26(घ)	अनिर्णीत	
50.	पैरा 27	अनिर्णीत	
51.	पैरा 27(क)	अनिर्णीत	
52.	पैरा 28	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

1)	31.3.2013 से गत शेष	188
2)	वर्तमान में प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	20
	कुल पैरे	**208**
3)	वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरे	20
4)	31.3.2015 को अनिर्णीत पैरों का शेष	**188**